बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

E-Mail
FAX

पत्रांक – प्र04 / विविध 26 / 2015– 7012 खाद्य, पटना / दिनांक– 02/09/15

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 के निहित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने के संबंध में।

महाशय,

प्रायः देखा जा रहा है कि जिलों से आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं Privention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत आपके द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन की जाती है, लेकिन समय पर उसकी सूचना विभाग के स्तर पर प्राप्त नही हो रही है। उपर्युक्त के संदर्भ में अधिनियमों के निहित प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए आपके स्तर पर लगातार अनुश्रवण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आप अवगत है कि आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत दवाएँ, खाद (organic and non-organic) खाद्यान्न जिसमें पानी, खाद्य तेल, सब्जी, प्याज, आलू, दाल, चीनी अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, जूट एवं जूट से बने कपड़े सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएँ शामिल है। समय–समय पर आपके अधीनस्थ पदाधिकारी, जिन्हें विनियमावली में शक्तियाँ प्रदत्त है, के द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए थाने में मामले भी दर्ज किया जाते रहे है। लेकिन मामला दर्ज होने के पश्चात यह पता नही चल पाता है कि उनके विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हुई या नही, और मामले को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जा सका या नही, इसके निमित्त आपके स्तर पर लगातार महीने में कम–से–कम एक बार सभी बिन्दुओं की समीक्षा किया जाना उचित होगा। समीक्षा के रूप में संसदीय कार्य (संसद एवं विधानमंडल सहित) के प्रश्नों का उत्तर, कोर्ट में लंबित मामलें, विभागीय कार्रवाई की ओर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा होगा अगर समीक्षा बैठक में संबंधित पुलिस अधीक्षकों को भी समीक्षा बैठक में बुलाया जाय। इसके साथ ही सूचना तंत्र को भी सुदृढ करने की आवश्यकता है। जो कार्रवाई की जा रही है, उसे अविलंब विभाग को प्रेषित किया जाना आवश्यक है, ताकि समेकित प्रतिवेदन केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग को फैक्स / ई–मेल के माध्यम से भेजा जा सके।

उपर्युक्त बिन्दुओं का अगर आपके स्तर से अनुश्रवण प्रभावी हो जाय, तो निश्चित तौर पर वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा।

विश्वासभाजन,
02/9/2015
सरकार के सचिव।

D:\Section 10\2012\Sec_4-vidh.doc